भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4261

उत्तर देने की तारीख 18 मार्च, 2026 (बुधवार)

27 फाल्गुन, 1947 (शक)

प्रश्न

पूर्वोत्तर उद्यम विकास योजना

†4261. **श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः**

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूर्वोत्तर उद्यम विकास योजना (नीड्स) के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत वर्ष-वार कुल बजटीय आवंटन और वास्तविक उपयोग कितना-कितना है;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में उक्त क्षेत्र और वर्ष-वार कुल कितने उद्यमों और परियोजनाओं को 'नीड्स' के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने 'नीड्स' के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कार्यान्वयन के लक्ष्य अथवा प्रगति संकेतक निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो वर्ष 2025-26 की स्थिति के अनुसार उक्त बेंचमार्कों की स्थिति क्या है; और

(घ) क्या उक्त क्षेत्र में उद्यमशीलता, रोजगार सृजन और सतत विकास को उत्प्रेरित करने में 'नीड्स' की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए कोई स्वतंत्र समीक्षा या संपरीक्षा की गई है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या रहे?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) पूर्वोत्तर उद्यम विकास स्कीम (एनईईडीएस) के तहत कुल बजटीय आवंटन 300.00 करोड़ रुपये है, जबकि 28.02.2026 तक वास्तविक उपयोग 645.48 करोड़ रुपये है। प्राप्त और वितरित की गई निधि का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	**प्राप्त निधि**	**वितरित निधि**
2021-22	40.00	82.55
2022-23	50.00	129.42
2023-24	60.00	126.25
2024-25	70.00	168.19
2025-26	80.00	139.07
कुल	300.00	645.48

(ख) वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान (28 फरवरी, 2026 तक) पूर्वोत्तर उद्यम विकास स्कीम(एनईईडीएस) के तहत वित्तपोषित उद्यमों/परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या और कुल वितरित निधि का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) जी, हाँ। यह स्कीमउत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन मेंपूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालयनेडफीके साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करता है, जिसमें कार्यान्वयन के विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें निधि का राज्य-वार उपयोग, सभी आठ राज्यों में व्यवसाय बैठकआयोजित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई)/(गैर-लाभकारी संगठनों) एनजीओ के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम संचालित करनाऔर उद्यमियों को रियायती वित्त उपलब्ध कराना शामिल है।इसके अलावा, नीति आयोग 'आउटपुट-आउटकम निगरानी रूपरेखा' (ओओएमएफ) के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ओओएमएफके तहत एनईईडीएसके लक्ष्य **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(घ) जी, हाँ। भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग द्वारा एनईईडीएस स्कीम का मूल्यांकन किया गया था। इसके मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- स्कीम ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप माइक्रोफाइनेंस परियोजनाओं को कारगर ढंग से लक्षित किया है।
- यह पहली पीढ़ी के उद्यमियों और सामाजिक रूप से कमज़ोर समूहों, जिनमें महिलाएँ, एससी, एसटी, ओबीसीऔर दिव्यांग लाभार्थी शामिल हैं, तक सफलतापूर्वक पहुँचीऔर साथ ही इसने दूरदराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया।
- अधिकांश लाभार्थियों ने प्रदान की गई सहायता राशि का कारगर ढंग से उपयोग कियाऔर इसे अपनी लक्षित परियोजनाओं में लगाया।
- 95% से अधिक उत्तरदाताओं ने निधि के उपयोग, क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों और सहायता सेवाओं के प्रति संतुष्टि व्यक्त की।
- वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय प्रबंधन और आजीविका कौशल के क्षेत्र में शुरू की गई क्षमता-निर्माण पहलों ने समर्थित उद्यमों की निरंतरता को मज़बूत किया है।

अनुबंध-I

(रुपये करोड़ में)

राज्यवार सहायता प्राप्त परियोजनाएँ और वितरित निधि	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (फरवरी 2026तक)	
राज्य	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	वितरित धनराशि (करोड़ रुपये में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	वितरित धनराशि (करोड़ रुपये में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	वितरित धनराशि (करोड़ रुपये में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	वितरित धनराशि (करोड़ रुपये में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	वितरित धनराशि (करोड़ रुपये में)
अरुणाचल प्रदेश	53	6.53	80	12.54	106	13.42	100	9.4	93	11.13
असम	159	24.95	264	38.28	228	36.34	152	57.53	103	50.68
मणिपुर	78	10.11	103	8.69	78	6.58	72	20.21	45	25.13
मेघालय	16	2.43	42	9.91	49	6.8	41	10.74	7	5.38
मिजोरम	119	8.75	171	17.69	211	21.84	219	25.33	178	19.64
नगालैंड	115	8.59	132	11.89	126	13.78	131	16.61	76	9.46
सिक्किम	139	10.32	168	11	131	9.57	170	13.21	122	7.12
त्रिपुरा	173	10.87	184	19.43	212	17.92	182	15.16	119	10.53
कुल	**852**	**82.55**	**1144**	**129.42**	**1141**	**126.25**	**1067**	**168.19**	**743**	**139.07**

अनुबंध-II

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पूर्वोत्तर उद्यम विकास स्कीम (एनईईडीएस) के अंतर्गत ओओएमएफलक्ष्य:

वित्तीय परिव्यय	आउटकम 2025-26					
2025-26	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2025-26	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2025-26
80.00	1. एमएसएमईऔर एमएफआईको औपचारिक ऋण का प्रावधान	1.1. नेडफीद्वारा ऋण प्रदान किए गए एमएसएमईऔर एमएफआईकी संख्या	400	1. पूर्वोत्तर राज्यों में उद्यमिता और एमएसएमई को बढ़ावा देना		8000
		1.2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालयद्वारा ऋण प्रदान किए गए एमएसएमईऔर एमएफआईकी संख्या	400			
		1.3 नेडफीद्वारा एमएफआईको दिए गए ऋण (करोड़ रुपये में)	10.00			
		1.4 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालयद्वारा एमएफआईको दिए गए ऋण (करोड़ रुपए में)	10.00		1.2 पिछले डेढ़ वर्षों में तैयार किए गए उद्यमियों की कुल संख्या	588
		1.5 नेडफीद्वारा एमएसएमईको दिए गए ऋण (करोड़ रुपये में)	70.00			
		1.6 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालयद्वारा एमएसएमईको दिए गए ऋण (करोड़ रुपये में)	70.00		1.3 ऋण वापसी दर (%)	95.0%
	2. एमएफआईऔर उद्यमियों को हैंडहोल्डिंग सहायता	2.1. क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और जागरूकता शिविरों में प्रतिभागियों की संख्या	610		2. प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या	610
